(14)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4293—दो/2012 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 26—06—2012 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण कमांक 707/अपील/2009—10.

राधेश्याम पुत्र नारायण सिंह दांगी
निवासी ग्राम खजुरिया तहसील मुंगावली
जिला अशोकनगर म0प्र0

—— आवेदक

विरूद्ध

1— गजराज सिंह पुत्र सनमान सिंह दांगी
निवासी ग्राम खजुरिया तहसील मुंगावली
जिला अशोकनगर म0प्र0
2—शांति बाइ पुत्री गंगाराम पत्नी अवध किशोर सिंह दांगी
हाल निवासी मुंगावली जिला अशोकनगर
3— लक्ष्मण सिंह पुत्र गंधर्व सिंह
4—हिम्मत सिंह पुत्र गंधर्व सिंह दांगी
निवासीगण ग्राम खजुरिया तहसील मुगांवली
जिला अशोकनगर म0प्र0

—— अनावेदकगण

.....

श्री आर0 एस0 सेंगर अभिभाषक, आवेदक
श्री सुनील सिंह जादौन, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश
(आज दिनांक 13/12/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26—06—2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत खजुरिया द्वारा प्रस्ताव कमांक–13 दिनांक 15.8.08 को विकय पत्र दिनांक 7.6.1993 के आधार पर ग्राम खजुरिया की भूमि सर्वे कमांक 340 एवं 344/2 रकवा 1.792 हैक्टर पर केता राधेश्याम के हक में नामांतरण के आदेश दिये गये । इस अदेश के विरूद्व गजराज सिंह आदि के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली द्वारा अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत की कार्यवाही निरस्त की गई। इससे परिवेदित होकर राधेश्याम द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुये आवेदक की अपील अपने आदेश दिनांक 26.6.12 से निरस्त की । इससे दुखित होकर आवेदक राधेश्याम द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में लेखी बहस प्रस्तुत की जिसकी एक प्रति अनावेदक अधिवक्ता को प्रदाय की गई। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा है कि आवेदक द्वारा ग्राम खजुरिया तहसील मुंगावली स्थित भूमि वें कमांक 340 रकवा 1.403 हैक्टर एवं सर्वे कमांक 344/2 रकवा 0.329 है0 कुल किता 2 रकवा 1.792 है0 भूमि को अनावेदक कमांक 3 एव 4 लक्ष्मण सिंह पुत्र गंधव्र सिंह एवं हिम्मत सिंह पुत्र गंधर्व सिंह से दिनांक 7.6.93 को कय किया था आवेदक द्वारा कब्जा प्राप्त किया गया था तथा कृषि कार्य करता चला आ रहा है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा है कि ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुये इश्तहार का प्रकाशन किया तथा एजेण्डा निकाला गया किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्न न होने पर विकय पत्र के आधार पर पंजी कमांक 13 दिनांक 15.8.2008 को आदेवक का नामांतरण किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष जो अपील प्रस्तुत की गई थी वह अवधि बाह्य होते हुये भी अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली द्वारा अपील स्वीकार करने में गंभीर त्रुटि की है। अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुये आवेदक की अपील निरस्त की गई है । अपर आयुक्त ग्वालियर द्वारा प्रकरण की परिस्थितियों पर विचार न करते हुये आदेश पारित किया है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अंत में निवेदन किया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जावे। अपर आयुक्त ग्वालियर का आदेश निरस्त किया जावे।

4–अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत नामांतरण का आवेदन तहसीलदार के न्यायालय में प्रकरण कमांक 11/अ–6/2002–03 आदेश दिनांक 7.3.03 निरस्त हो गया था जिसकी अपील सक्षम न्यायालय में आवेदक द्वारा नहीं की गई थी और तथ्यों को छिपाकर ग्राम पंचायत के प्रस्ताव कमांक 13 दिनांक 15.8.08 द्वारा विना सूचना दिये नामांतरण करा लिया । अनावेदक अधिवक्ता का तर्क है कि जब तहसीलदार के न्यायालय में प्रकरण अनुपस्थित होने के कारण अदम पैरवी निरस्त हो गया था तो उनके द्वारा उसकी अपील या पर्नस्थापित हेतु न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करना था लेकिन उनके द्वारा ऐसा न करते हुये ग्राम पंचायत से सांठ गांठ कर नामांतरण करा लिया गया है जो अवैध एवं निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी मुगांवली एवं अपर आयुक्त ग्वालियर का आदेश विधि प्रावधानों से सही है। अतः आवेदक की निगरानी निरस्त की जावे।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत लेखी बहस का परिशीलन किया गया। प्रकरण में संलग्न अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण में पृष्ठ 10 पर ग्राम पंचायत का ठहराव लगा हुआ है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि सरपंच द्वारा इश्तहार जारी किया गया अन्दर म्याद कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई । आवेदक द्वारा विकय पत्र कमांक 570 दिनांक 7.6.93 द्वारा विकय किया गया है एवं उसका प्रतिफल रूपये 30500/– की भूमि विकय की है। यहां यह विचारणीय बिन्दु है कि आवेदक ने अनावेदकगण को उनकी भूमि का प्रतिफल पूर्ण अदा कर दिया गया था। उसके पश्चात वह अपना नामांतरण कराने का हक रखता है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपनी निगरानी मेमों के कमांक–7 पर लेख किया गया है कि आवेदक के एक मात्र पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह की हत्या अज्ञात लोगों द्वारा कर दी गई और आवेदक उसी फौजदारी के प्रकरण में उलझा रहा इस लिये वह तहसीलदार के प्रकरण में अपना ध्यान आकर्षित नहीं कर सका । अनावेदकगण के द्वारा यह भी बताया गया है कि प्रकरण कब्जा के लिये दीवानी न्यायालय में प्रचलित था उसी दौरान आवेदक द्वारा भूमि कय की गई थी। प्रकरण में सिविल न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है। इन सभी परिस्थितियों की ओर अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली एवं अपर आयुक्त ग्वालियर द्वारा ध्यान आकर्षित ही नहीं किया गया है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर ग्राम पंचायत खजुरिया द्वारा पंजी कमांक 13 पर पारित आदेश दिनांक 15.08.2008 स्थिर रखा जाता है। अनुविभागीय अधिकारी मुगांवली का प्रकरण कमांक 13/09–10/अपील में पारित आदेश दिनांक 30.6.10 एवं अपर आयुक्त ग्वालियर का प्रकरण कमांक 707/अपील/09–10 में पारित आदेश दिनांक 26.6.2012 निरस्त किया जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर